न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला—पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री भागीरथराम चौधरी (आरएएस)
राजस्व वाद संख्याः— 64/2023

तारीख दायराः— 28.12.2023

वादीः— प्रदीप कुमार गोद पुत्र मांगीलाल (जायंदा पुत्र चन्दनमल उर्फ बाबूलाल) जाति—जैन, निवासी—बागोल, तहसील देसूरी, जिला—पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगणः— 1. दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल उर्फ बाबुलाल, जाति—जैन निवासी बागोल तहसील देसूरी जिला— पाली (राज.)
2. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी)राजस्थान सरकार जिला—पाली (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः 1.श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादी की ओर से
2.श्री नेनाराम मेघवाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10-1-2024

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि मौजा सरहद बागोल तहसील देसूरी जिला—पाली राज. के खसरा संख्या 562 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव प्रथम, खसरा संख्या 563 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बैरा, खसरा संख्या 564 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा, खसरा संख्या 565 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल, कुल खसरा 4 कुल रकबा 0.30 हैक्टर कुल लगान 07.57 रूपये की वादी प्रदीप कुमार एवं प्रतिवादी दिनेश कुमार के सह खातेदारी हक अधिकार की विद्यमान है। जिसके प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी संवत 2073—2076 की एवं जमाबंदी संवत 2065—2068 की प्रस्तुत की है।

वादग्रस्त आराजी के खातेदार चन्दनमल के पोता वादी प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार और बेटा बाबुलाल के नाम से सहखातेदारी हक अधिकार में दर्ज होने से खातेदार बाबुलाल का स्वर्गवास होने से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु वादी ने मय शपथ पत्र के निवेदन किया गया है कि वादी को अपने जायंदा पिता ने अपने भाई मांगीलाल के गोद में देने के कारण वादी के तमाम दस्तावेजो में वादी के पिता का नाम मांगीलाल और वादी के भाई

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी दिनेश कुमार के पिता का नाम बाबुलाल उर्फ चन्दनमल है। जिस अनुसार वारिसान के नाम से खातेदारी हक अधिकारों का नाम जमाबंदी में इन्द्राज करने हेतु विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करे। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 बिना किसी आधार के गलत रूपेण नामान्तरकरण में वादी के नाम का इन्द्राज कर दिया जिससे वादी को वादग्रस्त आराजी में निहित अपने तमाम खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का वाद पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही होने से वादी का वाद बाबत खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया।

वादी के पिता बाबुलाल उर्फ चन्दनमल पुत्र टेकचन्द कोठारी जैन का स्वर्गवास दिनांक 27.04.1983 को पालघर महाराष्ट्र में हुआ है। जिसके प्रमाण में ग्राम पंचायत पालघर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 285 दिनांक 01.07.1983 की फोटोप्रति पेश की है। वादग्रस्त आराजी में वादी के नाम का इन्द्राज वादी की नाबालिग अवस्था मे किया गया है। उसके बाद वादी के पिता बाबुलाल उर्फ चंदनमल ने अपने भाई के मांगीलाल के परिवार में गोद दिया गया था, जिससे वादी के पिता का नाम मांगीलाल सभी राजकीय दस्तावेजों में इन्द्राज है। वादी के पिता बाबुलाल उर्फ चंदनमल ने दिनांक 09.07.1973 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागोल में एक आवेदन पेश कर प्रदीप कुमार पुत्र बाबुलाल को गोद देने से वल्दियत में प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल इन्द्राज कराये जाने हेतु पेश किया था। जिसकी फोटो प्रति पेश है। जिसके आधार पर वादी की वल्दियत प्रदीप कुमार बाबुलाल से बदलकर प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल विद्यालय के रेकर्ड में ओर उसके बाद सभी सरकारी दस्तावेजो में चली आ रही है। भंवर लाल जैन द्वारा भी प्रमाण पत्र बाबत वादग्रस्त आराजी में इन्द्राज हेतु जारी किया था। जिसकी प्रतिलिपि पेश की है। वादी और प्रतिवादी के पिता का स्वर्गवास होने से अपने व्यवसाय को संभालने के लिए पालघर में ही रहे। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड की जानकारी लेने पर जानकारी में आया की वादग्रस्त आराजी में बाबुलाल का फोतेदगी नामान्तरकरण नही खोला गया है। जिस पर वादी ने मय शपथ पत्र के आवेदन तहसीलदार देसूरी के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिस पर वादी की सुनवाई ओर रेकर्ड और वास्तविकता के विपरीत जाकर नामान्तरकरण खोलते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रदीप कुमार पुत्र बाबुलाल, दिनेश कुमार पुत्र बाबुलाल का इन्द्राज करने से वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश करने का वाद हेतुक बसुकाम बागोल में प्राप्त हुआ है। जिससे वादी का वाद अंदर म्याद पेश है।

वाद में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध है। प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार होने से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादी ने अपने प्रस्तुत वाद में निवेदन किया है कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री निम्नानुसार सादीर फरमायी जावे।

1. वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा की जोत का खातेदार वादी प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल को तथा 1/2 हिस्सा की जोत का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल उर्फ बाबुलाल जैन को घोषित किया जावे।

2. वादग्रस्त आराजी के अधिकार अभिलेखो में दर्ज नाम प्रदीप कुमार पुत्र बाबुलाल को विलोपित किया जावे उसके स्थान पर प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल जैन 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर माफिक घोषणा के राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज किया जावे।।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश कुमार पुत्र बाबुलाल उर्फ चंदनमल जैन 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर माफिक घोषणा के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे।

3. डिक्री की पालना में भू–अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज किया जावे।

वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा जमाबंदी संवत 2073–76, एवं जमाबंदी संवत 2065–68, ग्राम पंचायत पालघर द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 285 दिनांक 01.07.1983 , प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बागोल द्वारा प्रस्तुत, बाबुलाल उर्फ चंदनमल पुत्र टेकचंद द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रदीप कुमार पुत्र बाबुलाल के गोद दिए जाने के कारण नाम बदलवाने, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोल से प्राप्त टी.सी की फोटो प्रति दिनांक 20.10.2023 की प्रस्तुत वादी प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की, वादी प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल का आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जबाव दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा का खातेदार वादी प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल को तथा 1/2 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल उर्फ बाबुलाल जैन को घोषित किया जावे।

वाद पत्र में वादी की ओर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। उपस्थित वादी ओर प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अपने अपने अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा बाद तस्दीक शामील पत्रावली किया गया। राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा सरहद बागोल के खसरा सख्या 562, 563, 564, 565 कुल खसरा 4, कुल रकबा 0.30 हैक्टर कुल लगान 07.57 रूपए में वादी को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी को 1/2 हिस्सा के सहखातेदारी हक अधिकार और आधिपत्य प्राप्त है। वादी को अपने जायंदा पिता बाबुलाल उर्फ चन्दनमल ने अपने भाई मांगीलाल के गोद में देने के कारण वादी के तमाम दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम मांगीलाल और वादी के भाई प्रतिवादी दिनेश कुमार के पिता का नाम बाबुलाल उर्फ चन्दनमल है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज कराए जाने और खातेदारी हिस्सों का इन्द्राज कराए जाने हेतु वादी और प्रतिवादी पूर्णतः सहमत और राजी है। अपरोक्तानुसार राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल उर्फ बाबुलाल जैन को 1/2 हिस्सा का खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाने हेतु राजीनामा डिक्री प्रदान करावे।

वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी मय अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत राजीनामा पर पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली मय प्रस्तुत दस्तावेजात, राजस्व अभिलेख का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रानीनामा अनुसार वादी एंव प्रतिवादी पूर्णतः सहमत हैं अतः वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त आराजी कृषि भूमि मौजा सरहद बागोल की खसरा नंबर 562, 563, 564, 565 कुल खसरा 4 कुल रकबा 0. 30 हैक्टर कुल लगान 07.57 रूपए में राजीनामा डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादी को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा के सहखातेदारी हक अधिकार

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त है। वादी को अपने जायंदा पिता बाबुलाल उर्फ चंदनमल ने अपने भाई मांगीलाल के गोद में देने के कारण वादी के तमाम दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम मांगीलाल और वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश कुमार के पिता का नाम चन्दनमल उर्फ बाबुलाल है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करने एवं खातेदारी हिस्सों का इन्द्राज करने के आदेश दिए जाते है। वादी प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल उर्फ बाबुलाल जैन को 1/2 हिस्सा का खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे। तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार पुत्र बाबुलाल को विलोपित किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को तहरीर के साथ निर्णय एवं डिक्री की सत्यापित प्रति भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 10-1-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

भागीरथराम चौधरी (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

डिकी बमूकददमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला—पाली, राज.
बइजलासः— श्री भागीरथराम चौधरी(आरएएस)
मुकदमा संख्याः— राजस्व वाद संख्या 64/2023
वाद दर्ज दिनांकः— 28.12.2023

वादीः— 1. प्रदीप कुमार गोद पुत्र मांगीलाल (जायंदा पुत्र चन्दनमल उर्फ बाबुलाल) जाति जैन निवासी बागोल तहसील देसूरी जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीः— 1. दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल उर्फ बाबुलाल जाति जैन निवासी बागोल तहसील देसूरी जिला पाली राज.

2. तहसीलदार देसूरी(भूमिधारी) राजस्थान सरकार जिला पाली राज.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजीर श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादी अधिवक्ता मिनजानिब नेनाराम मेघवाल अधिवक्ता मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिगरी दी जाती है कि वाद की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि मौजा सरहद बागोल की खसरा नंबर 562, 563, 564, 565 कुल खसरा 4, कुल रकबा 0.30 हैक्टर, कुल लगान 07.57 रूपए में राजीनामा डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादी को 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा के सहखातेदारी हक अधिकार प्राप्त है। वादी को अपने जायंदा पिता बाबुलाल उर्फ चन्दनमल ने अपने भाई मांगीलाल के गोद में देने के कारण वादी के तमाम दस्तावेजों मे वादी के पिता का नाम मांगीलाल और वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश कुमार के पिता का नाम चन्दनमल उर्फ बाबुलाल है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करने एवं खातेदारी हिस्सों का इन्द्राज करने के आदेश दिए जाते है। वादी प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश कुमार पुत्र चन्दनमल उर्फ बाबुलाल जैन को 1/2 हिस्सा का खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे। तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार पुत्र बाबुलाल को विलोपित किया जावे। राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार देसूरी को निर्णय की प्रति भेजकर लिखा जावे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

लीज.......—.......मुबकिल.......—.......बाबत.......—.......खर्चा इस मुकददमें मय सुद के—.......
.......—षहर.—.......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.—.......
....को अदा करे।

बसबा मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीखः— 10-1-2024.......

मोहर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुददई	रूपया	पैसा	मुददायला	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबुत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबन इजराय हुक्मनामा		
बाबन इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्चा डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं हो दर्ज किया जाना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)